

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 231] No. 231] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 26, 2016/ज्येष्ठ 5, 1938

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 26, 2016/ JYAISTHA 5, 1938

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2016

सं. बीईई /एस एण्ड एल/आरईएफ/70/2016-17.— कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्ररूप, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार अधिसूचना सं. बीईई /एस एण्ड एल/आरईएफ/70/2015-16. तानीख 5 अक्तूबर, 2015 के अधीन ऊर्जा दक्षता ब्यूनो (घरेलू सीधे ठण्डे प्रशीतक के लेवलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और नीते) विनियम 2015 उन सभी व्यक्तियों से जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तानीख से पैतालीस दिवस की अविध के भीतर आनोप और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित की गई थी;

और उक्त प्रारूप विनियमनों की प्रतियां जनता वो 05 अक्तूबर, 2015 वो उपलब्ध करा की गई थीं।

और पूर्वीवत अवधि के भीतर उक्त प्रारूप विनियमनों के संबंध में सुझाव प्राप्त किए गए।

अत: अब उक्त अधिनियम ी धारा 13 के उपखण्ड (2) के खण्ड (ढ) और धारा 14 के खण्ड (घ) के साथ पठित धारा 58 ी उपधारा (2) के खण्ड (झ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ब्यूगे केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ निम्नलिखित विनियमन बनाती है, अर्थात् :-

- 1. लघु शीर्षक और आरंभ :-(1) इन विनियमों को ऊर्जा दक्षता ब्यूनो (घरेलू सीधे ठंडे प्रशीतकों के लेवलों पर उनके संप्रदर्शन ी विशिष्टियां और ीति), विनियम, 2016 कहा जाए।
 - (2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तानीख को प्रवृत्त होंगे।
 - 2. परिभाषा:- (1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) "अधिनियम" से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 अभिप्रेत है;
 - (ख) "डायरेक्ट कुल प्रशीतक" से है अधिनियम बी धारा 14 के खण्ड (ख) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिप्ट एक साधित्र अभिप्रेत है;

- (ग) "प्ररूप" से इन विनियमों के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;
- (घ) "लेबल" से सीधे ठंडे प्रशीतक पर चिपकाया गया अथवा प्रदर्शित लिखित, मुद्रित, चिह्नित, मुहर लगी या ग्राफिक सामग्री अभिप्रेत है;
- (ङ) "लेबल अवधि" से धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ऊर्जा खपत मानक के अधीन तुलनात्मक ऊर्जा खपत की विधिमान्यता अवधि से है और यदि तुलनात्मक ऊर्जा खपत की विधिमान्यता की अवधि की अंतिम अवधि विनिर्दिष्ट नहीं की गई है, इस अवधि को केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट नए मुल्यों तक विधिमान्य मानी जाएगी;
- (च) "मॉडल अथवा मॉडलों के परिवार" से किसी विशिष्ट ब्राण्ड का मॉडल या मॉडलों की श्रेणी है जिसके संबंध में परीक्षण रिपोर्टों का एकल समुच्चय लागू है और जहां प्रत्येक मॉडल के समान भौतिक लक्षण, वार्षिक विद्युत खपत, ऊर्जा कुशलता स्तर और निष्पादन लक्षण समान अभिप्रेत हैं;
- (छ) "अनुज्ञाधारक" से ऐसे व्यक्ति या ऐसी एजेंसी से है जिसे विनियम 7 के अधीन लेबल चिपकाने के लिए अनुज्ञा दी गई अभिप्रेत है;
- (ज) "स्टार रेटिंग अथवा स्टार स्तर" से सीधे ठंडे प्रशीतक की तुलनात्मक विद्युत खपत को दर्शाने के लिए अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा खपत मानक पर आधारित सीधे ठंडे प्रशीतक के लेबल पर प्रदर्शित ऊर्जा कुशलता का ग्रेड है;
- (झ) लेबल लगे सीधे ठंडे प्रशीतक के संबंध में "व्यापारी अथवा विक्रेता" से उस व्यक्ति से अभिप्रेत है जो ऐसे सीधे ठंडे प्रशीतक की बिक्री अथवा वितरण करता है और इसमें ऐसे दुकानदार, व्यापारी, विनिर्माता और सीधे ठंडे प्रशीतक पर लेबल चिपकाने के लिए अनुमित प्राप्त अनुजाधारक शामिल हैं।
- (2) यहां इसमें प्रयुक्त जो शब्द और अभिव्यक्तियां अपरिभाषित हैं लेकिन अधिनियम में परिभाषित हैं, उनका अधिनियम में उन्हें क्रमश: दिया गया अर्थ ही होगा।
- 3. लेबल पर प्रदर्शित किए जाने वाली विशिष्टियां.—(1) प्रत्येक सीधे ठंडे प्रशीतक पर, इसके लेबल पर निम्नलिखित विशिष्टियां प्रदर्शित की जाएगी, अर्थात्:-
 - (क) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का प्रतीक चिह्न;
 - (ख) विनिर्माता अथवा आयातक और ब्राण्ड का नाम:
 - (ग) साधित्र का प्रकार;
 - (घ) निर्धारित सकल आयतन;
 - (ङ) निर्धारित भण्डारण आयतन;
 - (च) विनिर्माण अथवा आयात का मॉडल नंबर और वर्ष;
 - (छ) विशेष श्रृंखला कोड:
 - (ज) इकाई प्रति वर्ष में बिजली की खपत;
 - (झ) स्टार स्तर; और
 - (ञ) लेबल की अवधि;
 - (2) लेबल का डिजाइन, रंग, आकार और सामग्री इन विनियमों के साथ उपांबध अनुसूची में यथा: विनिर्दिष्ट होगा।
- 4. लेबलों के प्रदर्शन के लिए समय-सीमा: (1) विनियम 3 में विनिर्दिष्ट सभी विशिष्टियों वाला लेबल इन विनियमनों के लागू होने की तारीख से छह माह की अविध के भीतर प्रत्येक सीधे ठंडे प्रशीतक पर प्रदर्शित किया जाएगा।
- (2) केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन लागू संशोधित ऊर्जा खपत मानकों के प्रारंभ होने पर और प्रारंभ होने से, प्रत्येक अनुज्ञाधारक या व्यापारी या विक्रेता सुनिश्चित करेगा कि-

- (क) बिक्री के लिए रखे गए सीधे ठंडे प्रशीतक संशोधित ऊर्जा खपत मानकों के साथ समक्रमण कर संशोधित स्टार स्तर और संशोधित लेबल अविध भी प्रदर्शित करेंगे और सीधे ठंडे प्रशीतक का उत्पादन वर्ष भी संशोधित ऊर्जा खपत मानकों के साथ संक्रमण में होगा और पूर्व ऊर्जा खपत मानकों के आधार पर सीधे ठंडे प्रशीतकों का उत्पादन नहीं करेगा।
- (ख) डीलरों, खुदरा व्यापारियों को जानकारी देने के लिए उनकी जागरूकता के साथ ही उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए अपेक्षित प्रचार-प्रसार सहित सभी प्रारंभिक उपाय इन विनियमों के अधीन ऐसे प्रारंभ की तारीख से छह माह पूर्व नियोजित किए जाएंगे।
- 5. लेबल प्रदर्शित करने की रीति-(1) बिक्री स्थल पर प्रत्येक सीधे ठंडे प्रशीतक पर लेबल प्रदर्शित किया जाएगा और ऐसे लेबल सीधे ठंडे प्रशीतक पर निम्न विधि में चिपकाए जाएंगे, अर्थात् -
 - (क) सीधे ठंडे प्रशीतक पर के ऊपरी दाएं हिस्से में सामने की ओर चिपकाया हुआ स्व- आसंजक लेबल;
 - (ख) कार्टन बॉक्स पर सामने की ओर चिपकाया हुआ स्व- आसंजक लेबल;
- (2) प्रदर्शित न किए गए सीधे ठंडे प्रशीतक के लिए, लेबल पेकिंग के बाहर चिपकाया जाए और जब इसे बिक्री के लिए रखा जाए तो यह लेबल इकाई के साथ लगाया जाए।
- 6. लेबल प्रदर्शित करनें की अनुज्ञा-(1) ब्यूरो की पूर्व अनुज्ञा के बिना सीधे ठंडे प्रशीतक पर कोई स्टार लेबल नहीं चिपकाया जाएगा।
- (2) उप- विनियम (1) के तहत ब्यूरो की अनुज्ञा लेने के प्रयोजन के लिए, आवेदन प्ररूप- I में और इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में किया जाएगा; परंतु सीधे ठंडे प्रशीतक के प्रत्येक मॉडल के लिए पृथक आवेदन किया जाए;
 - (3) उप- विनियम (2) के अधीन प्रत्येक आवेदन- पत्र के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे -
 - (क) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में दो हजार रुपए का आवेदन शुल्क अथवा भुगतान के किसी प्रतिग्राह्रय इलेक्ट्रॉनिक ढंग में देय होगा;
 - (ख) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में देय एक लाख रुपए की लेवल प्रतिभूति शुल्क; मांग पत्र या भुगतान के किसी प्रतिग्राह्रय इलेक्ट्रॉनिक ढंग में। परंतु, लघु उद्योग के मामले में, प्रतिभूति शुल्क केवल पच्चीस हजार रुपए होगी-; और
 - (ग) प्ररूप-1 में यथा: विनिर्दिष्ट दस्तावेज ;
- 7. अनुज्ञा प्रदान करना- (1) विनियम 6 के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर और इससे संतुष्ट होने पर कि इसमें दी गई सभी अपेक्षाओं का पालन किया गया है, ब्यूरो ऐसी प्राप्ति की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर, विनियम 8 में यथा: विनिर्दिष्ट निबंधनों एवं शर्तों के अध्यधीन सीधे ठंडे प्रशीतक पर प्ररूप-II अथवा इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में लेबल चिपकाने के लिए अनुज्ञा प्रदान कर सकता है।
 - (2) ब्यूरो, प्ररूप -III में रजिस्टर बनाकर रखेगा और इसमें अनुज्ञाधारक के नाम प्रविष्ट करेगा;
- (3) उप- विनियम (1) के अधीन इस प्रकार प्रदत्त अनुजा उस अवधि तक विधिमान्य होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन यथा: अधिसूचित ऊर्जा खपत मानक द्वारा स्टार स्तर के लिए विनिर्दिष्ट की गई है;
- (4) अनुज्ञाधारक द्वारा अनुज्ञा के नवीकरण के लिए आवेदन छह माह के भीतर किंतु इस अवधि की समाप्ति से तीन माह पूर्व किया जाएगा और इसके साथ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में मांग पत्र के रूप में या इलेक्ट्रॉनिक ढंग में एक हजार रुपए का देय शुल्क होना चाहिए;
- (5) विधिमान्यता की अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी आवेदन का नवीकरण नहीं किया जाएगा और ऐसी दशा में अनुज्ञाधारक को नया आवेदन पत्र प्रस्तुत होगा;

- (6) उप- विनियम (4) के अधीन नवीकरण के लिए आवेदन-पत्र मिलने पर और सभी अपेक्षाओं का अनुपालन होने के संबंध में संतुष्ट होने पर, ब्यूरो ऐसा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से एक माह की अविध के भीतर प्ररूप-II में अनुज्ञा का नवीकरण कर सकता है;
- (7) जो अनुज्ञाधारक उस तारीख से सीधे ठंडे प्रशीतक के विद्यमान मॉडल पर लेबल चिपकाने को जारी रखने की अनुज्ञा की मांग करता है, जिस तारीख से संशोधित स्टार स्तर लागू हुआ है, केवल प्ररूप IV में एक घोषणा प्रस्तुत करेगा;
- (8) यदि सीधे ठंडे प्रशीतक के नए मॉडल की योजना संशोधित स्टार स्तर के साथ समक्रमण कर शुरू करने की है तो अनुज्ञाधारक को नया लेबल चिपकाने की अनुज्ञा लेगा और ऐसी अनुज्ञा के लिए आवेदन संशोधित स्टार स्तर के लागू होने से छह माह पूर्व किया जाए;
- 8. लेबल पर विशिष्टियां प्रदर्शित करने के लिए निबंधन और शर्ते:- प्रत्येक अनुजाधारक और व्यापारी और विक्रेता निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों का पालन करेगा, अर्थात् :-
 - (क) सीधे ठंडे प्रशीतक के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन केंद्रीय सरकार अधिसूचित सीधे ठंडे प्रशीतक के लिए ऊर्जा खपत मानकों के अनुरूप होंगे; ;
 - (ख) यह लेबल सीधे ठंडे प्रशीतक के ऐसे मॉडलों पर ही चिपकाया जाएगा जिसके लिए अनुज्ञा प्रदान की गई है;
 - (ग) लेबल को अनुज्ञाधारक की लागत पर मुद्रित और सीधे ठंडे प्रशीतक पर चिपकाया जाएगा;
 - (घ) अनुजाधारक, व्यापारी और विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि सीधे ठंडे प्रशीतक पर लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर हर समय बना रहेगा;
 - (ङ) अनुज्ञाधारक विनियम 9 में यथा: विनिर्दिष्ट लेबल शुल्क का भुगतान करेगा;
 - (च) अनुज्ञाधारक ब्यूरो को विशिष्टियां देगा जिसमें लेबल लगे उपस्करों को बनाने का ब्यौरा और वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत में निम्नलिखित मास के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए देय प्रोदभूत लेबलिंग शुल्क की विशिष्टियां हो;
 - (छ) अनुज्ञाधारक, ब्यूरो को अपने लेबल लगे उत्पादों की बिक्री के लिए नियुक्त प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को अधिकृत वितरकों, डीलरों और थोक विक्रेताओं एवं विक्रेताओं की सूची देगा;
 - अनुज्ञाधारक, व्यापारी और विक्रेता ऐसे अन्य निबंधनों एवं शर्तों का पालन करेंगे जो ब्यूरो द्वारा, मानक और लेबलिंग के संबंध में
 ब्यूरो की निर्देशिका में अंतर्विष्ट निबंधनों और शर्तों सहित विनिर्दिष्ट किए गए हों;
- 9. लेबल शुल्क- (1) प्रत्येक अनुज्ञाधारक, ब्यूरो को सीधे ठंडे प्रशीतक पर प्रत्येक चिपकाए गए लेबल के लिए पांच रुपए की फीस का भुगतान करेगा।
- (2) उप-विनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट लेबल शुल्क, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख से एक माह के भीतर वार्षिक तौर पर संदत्त किया जाएगा;

परंतु यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लेबल शुल्क के भुगतान में चूक पर, ब्यूरो विनियम 6 के उप-विनियम (3) के खण्ड (ख) के अधीन प्रतिभूति शुल्क से इस पर दस प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से इस पर ब्याज के साथ बकाया रकम वसूल करेगा। यदि इसे जमा किए जाने की अंतिम तारीख से एक वर्ष के भीतर पूरा लेबलिंग शुल्क वसूल नहीं किया जाता, ब्यूरो अनुज्ञाधारक को प्रदत्त सभी अनुज्ञा रद्द कर सकता है और अनुज्ञाधारक का नाम व्यतिक्रमी के रूप में समाचार पत्र में प्रकाशित कर सकता है।

- 10. लेबल प्रतिभूति शुल्क का प्रतिदाय:- विनियम 9 के उप-विनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन, अनुज्ञाधारक सीधे ठंडे प्रशीतक का विनिर्माण न करने पर लेबल प्रतिभूति शुल्क के प्रतिदाय का हकदार होगा।
- 11. ब्यूरो द्वारा सत्यापन- (1) ब्यूरो अथवा इसकी नामनिर्दिष्ट एजेंसी, स्वयमेव अथवा इसे शिकायत प्राप्त होने पर, यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन करेगा कि सीधे ठंडे प्रशीतक इसके लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर और अन्य विशिष्टियों के अनुरूप हैं और कि यह अनुज्ञा के अन्य निबंधनों एवं शर्तों के अनुपालन में है।

- (2) सत्यापन के प्रयोजन के लिए, ब्यूरो अथवा विनिर्माता सुविधा से इसकी नामनिर्दिष्ट एजेंसी, द्वारा जैसे वह उचित समझे, भांडागार अथवा फुटकर विक्रय केन्द्र से यादृच्छिक तौर नमूने एकत्र करेगा;
- (3) जहां उप- विनियम (1) के अधीन शिकायत प्राप्त होने पर, ब्यूरो द्वारा जांच और राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला बोर्ड द्वारा विधिवत प्रत्यायित स्वतंत्र प्रयोगशाला में सीधे ठंडे प्रशीतक की जांच पर आक्षेप कर सत्यापन करना अपेक्षित है, अनुज्ञाधारक को ऐसे परीक्षण के निष्पादन के लिए नोटिस जारी किया जाएगा और शिकायतकर्ता से ब्यूरो के पास परीक्षण, परिवहन संबंधी खर्च और अन्य आकस्मिक व्यय, ऐसी समयाविध में जमा कराने की मांग की जाएगी जो ब्यूरो द्वारा अवधारित की गई हो और यदि आक्षेप परीक्षण के अधीन लिए गए नमूने विफल रहते हैं, ब्यूरो को नमूने लेने, नमूने के परिवहन और जांच प्रभारों की लागत के लिए सभी व्यय की प्रतिपूर्ति अनुज्ञाधारक द्वारा की जाएगी और ब्यूरो उल्लिखित व्यय शिकायतकर्ता को प्रतिदाय करेगा और जहां उपस्कर आक्षेप परीक्षण पर पास हो जाते हैं, तब शिकायतकर्ता द्वारा जमा कराए गए व्यय जब्त कर लिए जाएंगे;
- (4) जहां परीक्षण के लिए सीधे ठंडे प्रशीतक के नमूने स्वयमेव परीक्षण अथवा आक्षेप परीक्षण के दौरान परीक्षण में विफल रहते हैं, अनुजाधारक को एक अन्य अवसर दिया जाएगा और ब्यूरो, अनुजाधारक की लागत पर राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से समक्रमणि स्वतंत्र प्रयोगशाला में प्रथम जांच में प्रयुक्त सीधे ठंडे प्रशीतक के दो गुने परिमाण में दूसरा परीक्षण करेगा;
 - (5) जहां, दूसरा परीक्षण विकल होता है, ब्यूरो,-
 - (क) प्ररूप V, में अनुजाधारक को सभी राज्य नामनिर्दिष्ट एजेंसियों को निदेश देगा कि अनुजाधारक दो माह की अवधि के अंदर,
 - i. सीधे ठंडे प्रशीतक के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर सही करेगा अथवा परीक्षण के दौरान त्रुटियों और किमयों को दूर करेगा:
 - ii. ब्यूरो के दिशा- निर्देशों के अनुपालन में बाजार से सभी स्टॉक को वापस लेगा; और
 - iii. विज्ञापित सामग्री पर प्रदर्शित विशिष्टियों में परिवर्तन करेगा।
 - (ख) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए, दो माह के भीतर अनुजाधारक का नाम, ब्राण्ड का नाम, मॉडल का नाम अथवा मॉडल संख्या, प्रतीक चिह्न और अन्य विनिर्देश किसी दैनिक राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय समाचारपत्र अथवा इलेक्ट्रॉनिक अथवा यथोचित किसी अन्य रीति से प्रकाशित करेगा।
 - (ग) संबंधित राज्य नामनिर्दिष्ट एजेंसी को अधिनियम, की धारा 27 के अधीन अनुज्ञाधारक और व्यापारी के विरूद्ध न्यायनिर्णयन कार्रवाई करने के लिए सूचित करेगा।
 - (6) अनुज्ञाधारक उप-विनियम (5) में निर्दिष्ट दो माह की अवधि समाप्त होने के दस दिनों के भीतर,-
 - (क) ब्यूरो को दिशा-निर्देश के अनुपालन में की गई कार्रवाई के संबंध में प्ररूप VI में अनुपालन रिपोर्ट भेजेगा; और
 - (ख) यदि खण्ड (क) में निर्दिष्ट अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है अथवा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्देश का पालन किए बिना प्राप्त होती है, इसे जारी निर्देशों का अनअनुपालन माना जाएगा और ब्यूरो द्वारा इस प्रभाव के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
- (7) ब्यूरो अधिनियम की धारा 17 के अधीन कार्रवाई करने और उक्त उप-नियम के खंड (ख) के अधीन पारित आदेशों के प्रवंतन के प्रयोजनार्थ सभी राज्य नामनिर्दिष्ट एजेंसियों को उपविनियम (6) खंड (क) (ख) में निर्दिष्ट अनुपालन रिपोर्ट में जारी आदेशों की प्रति, आवश्यक दस्तावेजों सहित भेजेगा
- (8) जहां अनुज्ञाधारक, ब्यूरो द्वारा उप-विनियम (5) के अधीन जारी किए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहता है, वहां ब्यूरो सभी राज्य नामनिर्दिष्ट एजेंसियों को सूचना देते हुए
 - (क) विनियम 7 के उप-विनियम (1) के अधीन अनुज्ञाधारक को प्रदत्त अनुमति वापस ले लेगा;
 - (ख) केन्द्रीय सरकार को, अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा खपत मानकों की अनुरूपता में अनुज्ञाधारक द्वारा विफलता की पुष्टी में परीक्षण रिपोर्ट के साथ, केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 14 के खंड (ग) के अधीन विचार करने और कार्रवाई करने के लिए उप-विनियम (6) के खंड (क) में निर्दिष्ट ब्यूरो की निर्देश रिपोर्ट भेजेगा।
 - (ग) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए, दो माह के भीतर, किसी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में और किसी इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य तरीके से जैसा उचित समझे, अनुजाधारक का नाम, ब्रांड नाम, मॉडल का नाम या मॉडल संख्या, लोगो और अन्य विनिर्देशन प्रकाशित करेगा।
 - (घ) संबंधित राज्य नामनिर्दिष्ट एजेंसियों को अधिनियम की धारा 27 के अधीन अनुज्ञाधारक और व्यापारी के विरुद्ध आगे न्यायनिर्णय कार्रवाई शुरू करने के लिए सूचित करेगा।

(अनुमान)

12. अनुज्ञा का रद्दकरण .-

ब्यूरो विनियम 7 के अधीन प्रदत्त अनुमति को रद्द कर सकता है, यदि अनुज्ञाधारक -

- (क) विनियम 8 के अधीन विनिर्दिष्ट किसी निबंधनों और शर्तों का पालन नहीं करता;
- (ख) विनियम 9 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लेबल शुल्क का संदाय नहीं करता;
- (ग) विनियम 11 के अधीन जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं करता।

प्ररूप I [विनियम 6 देखें]

[विनियम 6 देखें] ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू सीधे ठंडे प्रशीतकों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2016 के अधीन सीधे ठंडे प्रशीतक पर लेबल चिपकाने की अनुमति हेतु आवेदन-पत्र महानिदेशक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)चौथा तल, सेवा भवन,सेक्टर - 1, आर. के. पुरम नई दिल्ली - 110 066 भारत अभिनाम के अधीन (व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम) _ (कारबार का पूरा पता) कारबार करने के लिए घरेलू सीधे ठंडे प्रशीतकों का/के विनिर्माता अथवा आयातक हूं / हैं जैसा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू सीधे ठंडे प्रशीतकों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2016 में ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट है, घरेलू सीधे ठंडे प्रशीतकों पर प्रदर्शित करने / लगाने की अनुमति पाने हेतु आवेदन करता हूं / करते हैं। 2. विनिर्माण सुविधा : उपरोक्त उपस्कर ______ (कंपनी का नाम) द्वारा विनिर्मित या आयातित है और _____ (कारखाने का नाम और पता) में विनिर्मित है। 3. सूचना के ब्यौरे : उपस्कर, कंपनी, विनिर्माण सुविधा, परीक्षण उत्पादों के लिए प्रमाणन, लेबल और भुगतान के संबंध में विस्तृत सूचना उपाबध में दी गई है। फर्म का रजिस्ट्रार अथवा संस्थाओं / उद्योग निदेशक (लघू इकाइयों के मामले में) द्वारा जारी निगमन प्रमाणपत्र अथवा अन्य सदृश दस्तावेजों की प्रतिलिपि संलग्न है जो फर्म का नाम और इसके विनिर्माण परिसरों को अनुप्रमाणित करते हैं, संलग्न है। आवेदक/ प्राधिकृत व्यक्ति : _____ _ (नाम और पदनाम) कंपनी/ फर्म आदि की ओर से यह आवेदन करने के लिए प्राधिकृत है और वह इस आवेदन के साथ दी गई सूचना की शुद्धता और अधिप्रमाणिकता के लिए उत्तरदायी होगा। संपर्क व्यक्ति : _ ् (नाम और पदनाम) इस आवेदन और लेबल के उपयोग के संबंध में ब्यूरो के साथ (ख) समन्वय करने के लिए अधिकृत संपर्क व्यक्ति है। मैं/हम उपरोक्त (क) अथवा (ख) में परिभाषित प्राधिकृत व्यक्तियों में किसी परिवर्तन के बारे में ब्यूरो को सूचित करने का वचन देता हूं/ देते हैं। 4. मानकों का अनुपालन : मैं/हम _____ (उपस्कर का नाम) के लिए _____ (अधिसूचना का शीर्ष) के संबंध में अधिसूचना में यथा: विनिर्दिष्ट आईएस/अन्य (मानक का नाम और संख्या) _____ के अनुसार क्वालिटी प्रणाली / अन्य मानकों के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो / अन्य अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करते हैं। संगठन और / अथवा उपरोक्त उपकरण के संबंध में अनुज्ञप्ति /प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि संलग्न है। मैंने / हमने, उपस्कर की क्वालिटी की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अपनी आंतरिक प्रयोगशाला _ _____ अथवा एनएबीएल द्वारा समक्रमणित प्रयोगशाला _____ (प्रयोगशाला का नाम और पता) में परीक्षण हेतु व्यवस्था कर ली है। स्वतंत्र प्रयोगशाला का ब्यौरा: क) परीक्षण ब्यौरे (परीक्षण प्रकिया / नाम / संख्या) ख) समक्रमण की प्रास्थिति : ग) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का अनुमोदन: मेरी/ हमारी जानकारी और प्राक्कलन के अनुसार, उक्त उपस्कर के उत्पादन और बिक्री संबंधी आंकड़े और इनका मूल्य निम्नानुसार हैं : उत्पादन बिक्री उपस्कर का अधिकतम खुदरा मूल्य (रु.) से तक अंतिम वर्ष से तक चालू वर्ष

(लीटर)

(लीटर)

वर्ष)

(लीटर)

दक्षता स्तर

(लीटर)

खपत (कि.

वॉ. घं. /

वर्ष)

ऊर्जा

दक्षता

स्तर

6. (क)	मांग पत्र सं.		तारीख	/ इलेक	ट्रॉनिक ढंग द्वारा	दो हजार रुपए	र् के आवेदन १	<u> </u>		
का संदा	य कर दिया ग	ाया है।								
		ALCO INC.	तारीख	/ इले	क्ट्रॉनिक ढंग द्वा	रा एक लाख	या पच्चीस ह	जार रुपए की	लेबल प्रतिभू	ति शुल्क का
	र दिया गया	-								
(ग) मैं/ह	म ब्यूरो द्वारा	यथा विनिदि	ष्ट पांच रुपए	प्रति लेबल के लेबलि	गि शुल्क का संदा	य करने को सह	हमत हूं/हैं।			
		ा विनिर्दिष्ट को सहमत हूं/		ों एवं शर्तों का पाल	न करने और ब	यूरो द्वारा को	ई पूछताछ वि	केए जाने की	स्थिति में उ	से आवश्यक
		ा ब्यूरो को सत ालन करने को		र नमूने का चयन कर	ने और परीक्षण प	ार आक्षेप करने	ा के लिए प्राधि	ब्रेकृत करता हूं <i>।</i>	कर <mark>ते</mark> हैं और	इस संबंध में
				आवेदन पत्र में दी ग जा सकता है।	ई सूचना मेरी/हग	गरी जानकारी	के अनुसार स	नही है और या	दे कोई सूचन	ा गलत पाई
						तारीख		दिवस		(वर्ष)
							ī	हस्ताक्षर		
								नाम		
							Ч	दनाम		
								वे	लिए और उ	
										र्म का नाम)
										र्म की मुहर
					उपाबध					
					प 1 का पैरा 3 दे	बें)				
					सूचना के ब्यौरे					
	द / उपस्कर व	न ब्यौरा								
1.1 सा										
	और प्रकार				101 1181016					
ब्रांड										
मॉडल व	ज नाम / नंबर									
रेटेड सब	ज्ल आयतन (व	तीटर)								
रेटेड भंड	ारण आयतन	(लीटर)								
विनिर्माप	ग का वर्ष									
		माणपत्र के ब्य की प्रति संलग्		हों)						
		ाणपत्र के ब्यौरे की प्रति संलग्								
		(प्रति वर्ष कि.								
411447	नगरा अपत	(तारा अप १क.	71. 4.)							
1.2	तकनीकी	व्यौरे								
क्र. सं.	मॉडल का नाम /		•	मापे गए मान			घोषि	त मूल्य		टिप्पणियां
	नंबर	सकल	भंडार	वार्षिक बिजली	स्टार लेबल	सकल	भंडार	वार्षिक	स्टार	
		आयतन	आयतन	खपत (कि. वॉ. घं. /	या ऊर्जा	आयतन	आयतन	बिजली	लेबल या	

		-	-	-	
2.	कप	ना	क	ब्यौरे	Ī

कंपनी का नाम :	
पता	
पता पिन कोड	
राज्य	
फोन नं.	
फैक्स नं.	
ई-मेल	· 以传统 Park (1997年)
फोन नं. फैक्स नं. ई-मेल वेबसाइट	

3. विनिर्माण परिसर के ब्यौरे

पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नं.	
फैक्स नं.	
ई-मेल	
वेबसाइट	
फोन नं. फैक्स नं. ई-मेल वेबसाइट अन्य कोई ब्यौरे	

4. जांच प्रयोगशाला के ब्यौरे

जांच प्रयोगशाला का नाम

समक्रमण प्रास्थिति (समक्रमण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)

समक्रमण की विधिमान्यता (समर्थन दस्तावेज संग्लन करें)

पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नं.	
फैक्स नं.	
ई-मेल	
वेबसाइट	

-	-		~				Εγ.	
5.	6	ब	6	ч	स	च	न	Г

प्रारंभ की तारीख		
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के लिए प्रयुक्त लेबलों		
का नाम		
पहले वर्ष के लिए -		
दूसरे वर्ष केलिए -		
तीसरे वर्ष के लिए -		
उत्पाद क्रमांक सं.	से	तक

6. भुगतान के ब्यौरे

	कुल रकम	भुगतान के ब्यौरे (डिमांड ड्राफ्ट के ब्यौरे / इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के ब्यौरे)
आवेदन शुल्क		
प्रतिभूति शुल्क		

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
के लिए और उनकी ओर से
(फर्म का नाम)
फर्म की मुहर

प्ररूप II

[विनियम 7 का उपविनियम (1) देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू सीधे ठंडे प्रशीतकों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2016 के तहत सीधे ठंडे प्रशीतक पर लेबल लगाने की अनुमति / अनुमति का नवीकरण

	नई दिल्ली, तारीख:


सेवा में,

- 1. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू सीधे ठंडे प्रशीतकों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2016 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसरण में, ब्यूरो आपको इस पत्र के साथ अनुबंध में बताए गए अनुमोदनों के ब्यौरे के अनुसार लेबल लगाने की अनुमित प्रदान करता है।
 - 2. यह अनुमति निम्नलिखित के अध्यधीन है -
 - (क) सीधे ठंडे प्रशीतक के लेबल पर दर्शाया गया स्टार स्तर अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन सीधे ठंडे प्रशीतक के लिए अधिस्चित ऊर्जा खपत मानकों और उल्लिखित विनियमों में दिए गए निबंधनों व शर्तों को पूरा करता हो;
 - (ख) लेबल सीधे ठंडे प्रशीतक के उस मॉडल पर ही चिपकाया जाएगा जिसके लिए अनुमित प्रदान की गई है;
 - (ग) लेबल, अनुजाधारक की लागत पर मुद्रित और सीधे ठंडे प्रशीतक पर चिपकाया जाएगा;
 - (घ) अनुज्ञाधारक यह सुनिश्चित करेगा कि सीधे ठंडे प्रशीतक पर प्रदर्शित स्टार स्तर हमेशा बना रहेगा;
 - (ङ) अनुज्ञाधारक प्रति लेबल पांच रुपए फीस का संदाय करेगा;
 - (च) अनुजाधारक ब्यूरो को एक विवरण मुहैया करेगा जिसमें लेबल धारक उपस्कर के उत्पादन और वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत से अगले माह के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए प्रोद्भूत लेबलिंग शुल्क का विवरण होगा। यह विवरण ब्यूरो को स्वचालित प्रणालियों के माध्यम से भी प्रदान की जाएगी।

10			THE C	TEETTE OF	11.12171.1	ZITATON	DII III I		[. IIII III	bbe. 1]
		अनुज्ञाधारक जाता है, भी प्र		तक के संबंध में अन्	य विवरण, जि	सके लिए अनु	मति प्रदान व	ती गई है,जैसे अ	ौर जब भी ब्यूर	ते द्वारा मांगा
जा सकता	3. यह अनुम	ाति		. से ता अवधि के दौरान						
और यह ह				त डिजाइन के अन् देखाई देनी चाहिए		के लिए समन्	दुदेशित की ग	ाई विशेष लेबल	न श्रृंखला कोड	है
निम्नानुस	5. जहां । ार उपांतरित		र द्वारा पुनराव	वलोकन के अधीन	स्टार स्तर यो	जना को उपां	तरित किया	गया है, सीधे	ठंडे प्रशीतक व	न स्टार स्तर
	(तर के सामंजस्य में वेदन किया जाए जि				नुमति के लिए	ब्यूरो के पास र	उस तारीख से
	(ख) जहां उपार प्रस्तुत की		ार लागू करने के वि	लेए विद्यमान	मॉडल को जा	री रखा जात	ा है, ब्यूरो के प	गस प्ररूप IV	में घोषणा ही
	6	तारीख .	मास	वर्ष को	हस्ताक्षरित, मु	हरबंद और त	ारीखबद्ध			
									ক্তৰ্গা	(सचिव) दक्षता ब्यूरो
					उपाबध					
				(प्ररूप	2 का पैरा 1	देखें)				
					नुमोदन के ब्यौं					
1. ਤਾ	पस्कर के ब्यौरे									
उपस्कर ३	और प्रकार									
ब्रांड										
	नाम / नंबर									
	ल आयतन									
	रण आयतन									
विनिर्माण	ा का वर्ष									
क्र. सं.	मॉडल का		मा	प मूल्य			घोषि	त मूल्य		टिप्पणियां
	नाम /	सकल	भंडार	वार्षिक	स्टार	सकल	भंडार	वार्षिक	स्टार	
	नंबर	आयतन	आयतन	बिजली खपत	लेबल या	आयतन	आयतन	बिजली	लेबल या	
		(लीटर)	(लीटर)	(कि. वॉ. घं. /	ऊर्जा	(लीटर)	(लीटर)	खपत (कि.	ऊर्जा	
				वर्ष)	दक्षता स्तर			वॉ. घं. / वर्ष)	दक्षता स्तर	
2. লিৰল	के ब्यौरे									
उपस्कर										
प्रकार										
विनिर्मात	ा / आयातक /	ब्रांड का नाम								
	नाम / नंबर									TENENS!

विनिर्माण का वर्ष	
रेटेड सकल आयतन (लीटर)	
रेटेड भंडारण आयतन (लीटर)	
वार्षिक बिजली खपत (कि.वॉ.घं./वर्ष)	
स्टारस्तर	
लेबल की अवधि	

3. सीधे ठंडे प्रशीतक पर लगाया जाने वाला ब्यूरो द्वारा समर्थक रूप से अनुमोदित लेवल का नमूना, जो नीचे दर्शाया गया है।



पत्र में उपबंधित विशिष्ट लेबल श्रृंखला कोड का उल्लेख सीधे ठंडे प्रशीतक पर लगाए गए लेबल में किया जाता है।

4. लेबल के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिजाइन, आकार, रंग स्कीम, सामग्री और ब्यूरो के लोगो में लेबल और रंग योजना की अंर्तवस्तु अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट होगी।

तारीख

हस्ताक्षर	
नाम	
पदनाम	
के लिए और उनकी ओर से	
	(फर्म का नाम)
	फर्म की मुहर

प्ररूप III (विनियम 7 के उप नियम (2) देखें)

ऊर्जा दक्षता ब्यरो द्वारा रखे जाने वाले अनजाधारकों के रजिस्टर (टेम्पलेट)

		कजा दलता ब्यूरा द्वारा रख ज	गि पाल अनुशावारका प	राजस्टर (टम्पलट)		
क्र. सं.	आवेदन सं. और अनुमति की तारीख	अनुजाधारकों का नाम और विवरण (संबंध व्यक्ति, पता, पिन कोड, राज्य, फोन सं., फैक्स नं., ई-मेल, वेबसाइट)	जिनकी अनुमति	70		अवधि जिसमें अनुमति प्रदान की गई है
1	2	3	4	5	6	7

लेबल प्रतिभूति शुल्क की रकम	(रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट (व्यौरे) / इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन (व्यौरे) : तारीख:) से प्राप्त की लेबल प्रतिभूति शुल्क	प्राप्त आवेदन शुल्क का मूल्य	(रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट (ब्यौरे) / इलेक्ट्रॉनिक लेन- देन (ब्यौरे) : तारीख:) से प्राप्त आवेदन शुल्क की राशि के विवरण
8	9	10	11

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान लगाए गए लेबलों की कुल संख्या		प्रत्येक वित्तीय वर्ष (रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट (ब्यौरे) / इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन (ब्यौरे) : तारीख:) के लिए प्राप्त विवरण के लेबलिंग शुल्क	
12	13	14	15

प्ररूप IV

[विनियम 7 का उप -विनियम (7) देखें]

अनुज्ञाधारक द्वारा विद्यमान मॉडल पर लेबल चिपकाने की अनुमति को जारी रखने की मांग करते हुए घोषणा (प्रत्येक भिन्न मॉडल के लिए, संबंधित उपावध के साथ एक पृथक पत्र प्रस्तुत किया जाएगा) (निगमित निकाय अनुज्ञाधारक के लेटर हैड पर)

तारीख:

सेवा में, महा निदेशक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)चौथा तल, सेवा भवन,सेक्टर – 1, आर. के. पुरम नई दिल्ली – 110 066 भारत

विषय : ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू सीधे ठंडे प्रशीतकों पर उनका लेबल प्रदर्शित करने की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2016 के जरिएसे लागू स्टार स्तर में परिवर्तन के संबंध में लेबल चिपकाने की अनुमति के लिए आवेदन- पत्र।

- 1. मैं/हम [व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम] की शैली में [कंपनी का नाम, पूरे पते सहित] में व्यवसाय करने वाला/वाले सीधे ठंडे प्रशीतक का/के विनिर्माता / आयातक हूं / हैं और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू सीधे ठंडे प्रशीतकों पर उनका लेवल प्रदर्शित करने की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2016 में ब्यूरो द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सीधे ठंडे प्रशीतक पर लेवल चिपकाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन करता हूं / करते हैं, जिसमें से स्टार स्तर में संशोधन होगा।
- 2. उपरोक्त उपस्कर [व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम] द्वारा विनिर्मित अथवा आयातित है और इसका (कारखाने का नाम और पता) में विनिर्माण किया गया है अथवा (आयातक का नाम और पता) से आयात किया गया है
- 3. नए स्टार स्तर का अनुपालन : मैं / हम ... सारणी के अनुसार सारणी परिवर्तन की पृष्टि करते हैं जैसा सीधे ठंडे प्रशीतक के लिए अधिसूचना संख्या एस. ओ. संख्या........ में विनिर्दिष्ट है। उपरोक्त उपस्कर के संबंध में ब्यूरो के अनुमोदन की प्रतिलिपि (जिसे पूर्व में अनुमोदित किया गया था) संलग्न है।
- 4. सीधे ठंडे प्रशीतक के संबंध में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो लेबल (स्टार स्तर परिवर्तन के परिशोधन के अनुसार) की प्रतिलिपि संलग्न है।
- 5. स्टार स्तर के संशोधन के अनुसार उपस्कर/मॉडल का विवरण।

मॉडल का नाम -

घोषित (मूल्य)		
(मौजूदा स्टार लेवल के अनुसार)	(संशोधित स्टार लेवल के अनुसार)	

6. मैं/हम अपने स्टार स्तर में मैनुअल आवेदन के साथ-साथ ऑनलाइन वैब पोर्टल में [मौजूदा स्टार लेबल स्तर] से [संशोधित स्टार लेबेल स्तर] परिवर्तित करने को सहमत हूं/हैं।

- 7. मैंने उक्त सीधे ठंडे प्रशीतक मॉडल के लिए अभी तक तिमाही उत्पादन आंकडे और लेबलिंग शुल्क जमा करा दिया है।
- 8. मैं/हम, ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी निबंधनों और शर्तों का पालन करने और यदि ब्यूरो द्वारा कोई पूछताछ की जाती है, उसे आवश्यक सहायता/ सहयोग देने को सहमत हूं/हैं।
- 9. मैं/हम, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन करने और जांच पर आक्षेप करने के लिए नमूने का चयन करने के लिए प्राधिकृत करते हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने को सहमत हूं/हैं।
- 10. मैं/हम यह वचन देता हूं/ देते हैं कि इस आवेदन पत्र में प्रदान की गई सूचना मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सही है और यदि इसमें दी गई कोई सूचना गलत पाई जाती है, आवेदन को तत्काल अस्वीकृत किया जा सकता है। दिनांक:......

दन	(वष)	
हस्ताक्षर		
नाम		
पदनाम .		
	के लिए और उनकी	ओर से
		(फर्म का नाम)
		फर्म की मुह

प्ररूप V [विनियम 11 का उप -विनियम (5) देखें] अनुज्ञाधारक को दूसरे जांच परीक्षण में विफल रहने पर निदेश

सेवा में,	नई दिल्ली, तारीख
उपबंधों के अनुसरण में आपको इसमें विनिर्दिष्ट निबंधनों एवं पत्रांकके जरिए सीधे ठंडे प्रशीतक पर लेबल चिपकाने 2. ब्यूरो ने, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू सीधे ठंडे प्रशी	क संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2016 के अनुसरण में विनियम 7 के ं शर्तों का अनुपालन करने की शर्त पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के तारीखके
लेबल, जो उल्लिखित खरीदे गए सीधा ठंडा प्रशीतक पर आप मैसर्स को नमूने के	ोधा ठंडा प्रशीतक खरीदकर, ब्यूरो द्वारा उल्लिखित विनियम के विनियम 3 के अधीन के द्वारा चिपकाया गया था, पर प्रदर्शित ब्यौरों के सत्यापन के लिए नियुक्त एजेंसी, तौर पर उठवाया था। मैसर्स से श्रृंखला सं. मैसर्स का सम्यक रूप से
प्राप्त हुआ था।	का नाम) से, सत्यापन एजेंसी के सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर सहित म से पैरा 2 में निर्दिष्ट नमूना मैसर्स, एनएबीएल समक्रमणित प्रयोगशाला को
	परीक्षण प्रक्रिया के अनुसार, एस.ओ. संख्या तारीख के उपाबंध में दिए
सीधे ठंडे प्रशीतक प्रति वर्ष विद्युत इकाइयों की खपत, मानक, वि द्वारा विनिर्मित/ आयातित घरेलू सीधे ठंडे प्रशीतकों के संबंध में ले पत्र के साथ संलग्न प्ररूप 1 में आपके द्वारा दिए गए परीक्षण के	तिपोर्ट के परिणाम संलग्न हैं। जांच रिपोर्ट के परिणाम दर्शाते हैं कि नमूने वाले घरेलू निर्दिष्ट सकल परिमाण और भंडारण परिमाण आदि को पूरा नहीं करते और यह आपके लेबल चिपकाने के लिए मांगी गई अनुमति के लिए आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन ब्यौरे की अनुरूपता नहीं है। वीईई के तारीख के पत्रांक के जरिए जांच के ए गए थे। आपसे अनुरोध किया जाता है कि एनएबीएल समक्रमणित प्रयोगशाला मैसर्स
5. हमारी प्राधिकृत एजेंसी मैसर्स द्वारा सम्	के जरिए तारीख दूसरे जांच सत्यापन परीक्षण के लिए नमूने यक रूप से मुहरबंद कर राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला बोर्ड समक्रमणित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के साथ-साथ आपके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षराधीन

- 6. दूसरे जांच सत्यापन परीक्षण के परिणाम संलग्न हैं जिनकी राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला बोर्ड समक्रमणित प्रयोगशाला के सक्षम प्राधिकृत कार्मिक द्वारा जांच की गई है और जिनके संबंध में प्रतिहस्ताक्षर किए गए हैं। जांच रिपोर्ट पर दूसरे जांच परीक्षण के साक्ष्य के तौर पर आपके हस्ताक्षरकर्ता द्वारा भी सम्यक रूप से हस्ताक्षर किए गए हैं। जांच परिणामों से पृष्टि होती है कि ये एस.ओ. संख्या तारीख.... में दिए गए अपेक्षित मानदण्डों और मानकों और आपको बाजार में विनिर्मित/आयातित एवं बिक्री घरेलू सीधे ठंडे प्रशीतकों पर लगे लेबल पर दिए गए ब्यौरों को दर्शाने के लिए आपको दी गई अनुमति के निबंधनों और शर्तों को पूरा नहीं करते।
- 7. अत:, अब ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू सीधे ठंडे प्रशीतकों पर उनका लेबल प्रदर्शित करने की विशिष्टयां और रीति) विनियम, 2016 के विनियम (5) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ब्यूरो निदेश देता है:-
 - (i) घरेलू सीधे ठंडे प्रशीतकों के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर को सही करें अथवा परीक्षण के दौरान पाई गई त्रुटियों और किमयों को दूर करें:
 - (ii) ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक वापस ले लें; और
 - (iii) विज्ञापन की सामग्री में प्रदर्शित किए गए ब्यौरों में परिवर्तन करें।
- 8. आपको निदेश दिया जाता है कि इस पत्र के जारी किए जाने की तारीख से दो माह के भीतर उपरोक्त सुधारात्मक कार्रवाई पूरी करें और दो माह की समाप्ति के पश्चात् 10 दिन के भीतर अर्थात............. तक प्ररूप VI में अनुपालन रिपोर्ट भेजें। यदि उक्त तारीख तक कोई अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू सीधे ठंडे प्रशीतकों पर उनका लेबल प्रदर्शित करने की विशिष्टयां और रीति) विनियम, 2016 के विनियम 11 के उप-विनियम (6) के खण्ड (ख) के निबंधनों के अनुसार कार्रवाई करेगा।
- 9. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू सीधे ठंडे प्रशीतकों पर उनका लेबल प्रदर्शित करने की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2016 के विनियम 11 के उप-विनियम (4) (5) (6) और (7) की शर्तों के अनुसार, मामले में और आगे कार्रवाई करेगा।

सचिव, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

तारीख

संलग्नक:

- 1. विफल मॉडल की परीक्षण रिपोर्ट
- 2. विनिर्माता के साथ पत्राचार

प्ररूप VI

(विनियम 11 के उप विनियम (6) देखें) की गई कार्रवाई रिपोर्ट (संगठन के लैटर हैड पर प्रस्तुत करना)

सेवा में,	
सचिव	
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	
(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)चौथा तल, सेवा भवन,सेक्टर – 1, आर. व	के. पुरम
नई दिल्ली – 066 110	
भारत	

विनियम, 2016 (घरेलू सीधे ठंडे प्रशीतक के लेबल पर उनके प्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति से) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के विनियम 11 के उप-विनियम (5) के उपबंधों के अनुसरण, हमें आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए बीईई पत्र संख्या तारीख............ द्वारा निर्देश दिया गया। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी किए गए निर्देश के आलोक में, हम इसके द्वारा घोषित करते हैं कि हमारी ओर से निम्न कारवाईयों को किया गया है।

	कार्रवाई का निर्देश	प्रास्थिति	की गई कार्रवाई
(i)	ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के साथ सीधे ठंडे	हां / नहीं / लागू नहीं	स्टार स्तर (तारीख) से प्रभावी स्टार
	प्रशीतक के स्तर पर प्रदर्शित सही स्टार स्तर		से स्टारतक सही किया गया है।


(ii)	ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के साथ बाजार से सभी स्टॉक वापस ले लें। और	हां / नहीं / लागू नहीं	बाजार से सभी स्टॉक को ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के साथ वापस ले लिया गया है।
(iii)	विज्ञापन सामग्री पर प्रदर्शित ब्यौरे बदलें।	हां / नहीं / लागू नहीं	हां / नहीं / लागू नहीं

उपरोक्त दी गई घोषणा हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।


हस्ताक्षर..... नाम..... पदनाम..... के लिए और उनकी ओर से...... कंपनी का नाम / फर्म आदि फर्म / कंपनी की मुहर

अनुसूची विनियम 3 का उपविनियम (2) देखें) सीधे ठंडे प्रशीतक के लेबलों पर प्रदर्शित की गई विशिष्टियां (1) लेबल डिजाइन

(i) आयाम :



(ii) रंग योजना :



(iii) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो लोगो की रंग योजना:

नीला -

ह्यू (H)-239° सेचुरेशन (S):64% ब्राइटनेस(B):59% ल्यूमिनेंस या लाइटनेस (L) :28, क्रोमेटिक पुर्जें -a:24 b:54 लाल (R):54 हरा(G):55 नीला(B):151 सियान (C):97% मैजेंटा (M):95% पीला (Y):6% काला(K):1% वेब कलर कोड - #363797 हरा -ह्यू (H)- 150° सेचुरेशन (S): 10% ब्राइटनेस(B): 67% ल्यूमिनेंस या लाइटनेस (L) : 61, क्रोमेटिक पुर्जें -a: 53 b:32 लाल (R): 0 हरा(G): 170 नीला(B): 87 सियान (C): 81% मैजेंटा (M): 10% पीला (Y): 90% काला (K): 1%

वेब कलर कोड - #00AA56;

(2) लेबल सामग्री

लेबल, टिकाऊ गत्ते का होगा, यदि यह एक स्विंग टैग के रूप में संलग्न किया जा रहा है, या स्वयं चिपकने वाला हो सकता है और लेबल के लिए आयाम डिजाइन योजना में दिखाई गई रूपरेखा में से एक को काटा जाएगा।"

> बी. पी. पाण्डेय, महानिदेशक [विज्ञापन-III/4/असा./112(185)]

THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2016

No. BEE/S&L/Ref/70/2016-17.— Whereas the draft regulations namely, the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Household Direct Cool Refrigerators) Regulations, 2015, were published vide notification number BEE/S&L/Ref/70/2015-16, dated the 5th October, 2015, as required under sub-section (1) of section 58 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), inviting objections or suggestions from persons likely to be affected thereby within the specified period of forty-five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas copies of the said draft regulations were made available to the public on 5th October, 2015;

And whereas suggestions have been received with respect to the said draft regulations within the period aforesaid;

And whereas the suggestions received in this regard have been taken into consideration;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of section 58 read with clause (n) of sub-section (2) of section 13 and clause (d) of section 14 of the said Act, the Bureau, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

- 1. Short title and commencement.-(1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Household Direct Cool Refrigerators) Regulations, 2016.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Definition.- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means the Energy Conservation Act, 2001(52 of 2001);
 - (b) "direct cool refrigerators" means an appliance as specified in the notification under clause (b) of section 14 of the Act;
 - (c) "Form" means a form appended to these regulations;
 - (d) "label" means any written, printed, marked, stamped or graphic matter affixed to, or appearing upon, direct cool refrigerator;
 - (e) "label period" means the validity period of the comparative electricity consumption under energy consumption standard notified by the Central Government under clause (a) of section 14 and in case the end period of the validity period of the comparative electricity consumption is not notified, it shall be deemed to be valid until new values for the same are notified by the Central Government;
 - (f) "models or family of models" means the model or range of models of one particular brand, to which a single set of test reports is applicable and where each of the models has the same physical characteristics, annual electricity consumption, energy efficiency level and performance characteristics;
 - (g) "permitee" means a person or agency to whom permission has been granted to affix label under regulation 7;
 - (h) "star rating or star level" means the grade of energy efficiency displayed on the label of the direct cool refrigerator based on energy consumption standard notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act to denote the comparative electricity consumption of direct cool refrigerator;
 - (i) "trader or seller" in relation to any labelled direct cool refrigerator means a person who sells or distributes any such direct cool refrigerator and includes the shopkeeper, trader, manufacturer and permittee who has been given permission to affix label on such direct cool refrigerator.
- (2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have meanings respectively assigned to them in the Act.
- 3. Particulars to be displayed on label.- (1) On every direct cool refrigerator, the following particulars shall be displayed on its label, namely:-
 - (a) the logo of the Bureau of Energy Efficiency;
 - (b) name of manufacturer or importer and brand;
 - (c) appliance type;
 - (d) rated Gross Volume;
 - (e) rated Storage Volume;
 - (f) model number and year of manufacturing or import;
 - (g) unique series code;
 - (h) electricity consumption in units per year;
 - (i) star level; and
 - (j) label period.
- (2) The design, colour, size and content of label shall be as specified in the Schedule annexed to these regulations.
- 4. Time limit for display of labels.- (1) A label containing all the particulars specified in regulation 3 shall be displayed on every direct cool refrigerator within a period of six months from the date of coming into force of these regulations.
- (2) On and from commencement of revised energy consumption standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act, every permittee or trader or seller shall ensure that-
 - (a) the direct cool refrigerator put on sale shall display revised star level and revised label period synchronizing with the revised energy consumption standards and the manufacturing year of the direct

- cool refrigerator shall also be in synchronization with such revised energy consumption standards, and shall not produce the direct cool refrigerator with the previous energy consumption standards;
- (b) all preparatory steps including awareness of the dealers, retailers, requisite publicity for their education as well as for the education of the consumers shall be well planned and taken six months in advance of the date of such commencement, under these regulations.
- 5. Manner of display of label.-(1) On every direct cool refrigerator, shall be displayed label at the point of sale and such label shall be affixed on the direct cool refrigerator in the following manner, namely:-
 - (a) self-adhesive label affixed on the front side of the upper right portion of direct cool refrigerator;
 - (b) self-adhesive label affixed on the front side of the carton box.
- (2) For direct cool refrigerators not on display, the label may be affixed to the exterior of the packing and the label may be attached to the unit when put on sale.
- 6. Permission for display of label.- (1) No star label shall be affixed on a direct cool refrigerator without obtaining the prior permission of the Bureau.
- (2) For the purpose of obtaining permission of the Bureau under sub-regulation (1), an application shall be made in Form-I and in electronic form:

Provided that separate application shall be made for each model of direct cool refrigerator.

- (3) Every application under sub-regulation (2) shall be accompanied by
 - (a) an application fee of two thousand rupees, payable by demand draft in favour of Bureau of Energy Efficiency, New Delhi or by any acceptable electronic mode of payment;
 - (b) a label security fee of one lakh rupees, payable by demand draft in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi; or by any acceptable electronic mode of payment:

Provided that in case of small scale industry, label security fee shall be only twenty five thousand rupees; and

(c) documents specified in Form 1.

- 7. Grant of permission.- (1) On receipt of an application under regulation 6 and after being satisfied that all requirements therein are complied with, the Bureau may, within a period of one month from the date of such receipt, grant, subject to such terms and conditions as/are specified in regulation 8, permission for affixing label on direct cool refrigerator in Form II or in electronic form.
 - (2) The Bureau shall maintain a register in Form III and enter the name of the permittee therein.
- (3) The permission so granted under sub-regulation (1) shall be valid for such period till which the star level specified by the energy consumption standard as notified by the Central Government under clause (a) of section 14 is in force.
- (4) An application for renewal of permission shall be made by the permittee from six months but not later than three months before its expiry and shall be accompanied by a fee of one thousand rupees payable in the form of demand draft or electronic mode in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi.
- (5) No application shall be renewed after expiry of validity period, in which case the permittee shall make a fresh application.
- (6) On receipt of application for renewal under sub-regulation (4) and after being satisfied that all requirements are complied with, the Bureau may, within a period of one month from the date of such receipt, renew permission in Form II.
- (7) The permittee who seeks permission for continuance to affix label on the existing model of the direct cool refrigerator from the date from which the revised star level comes into force, shall submit only a declaration in Form IV.
- (8) The permittee shall seek permission to affix label afresh, if new model of the direct cool refrigerator is planned to be launched to synchronize with the revised star level and application for such permission may be made six months in advance of coming into force of the revised star level.
- 8. Terms and conditions for display of particulars on label.- Every permittee, trader and seller shall comply with the following terms and conditions in displaying the particulars on label, namely:-
 - (a) the star level displayed on the label of direct cool refrigerator shall conform to energy consumption standards for direct cool refrigerator notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act;
 - (b) the label shall be affixed only on such model of direct cool refrigerator for which permission has been granted;
 - (c) the label shall be printed and affixed on the direct cool refrigerator at the cost of permittee;
 - (d) the permittee, trader and seller shall ensure that the star level displayed on the label of direct cool refrigerator shall be maintained at all time;
 - (e) the permittee shall pay the label fee as specified in regulation 9;
 - (f) the permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labeling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year;

- (g) the permittee shall furnish to the Bureau an updated list of authorised distributors, dealers, retailers, sellers appointed to sell their labelled products by 30th day of April of each year;
- (h) the permittee, trader and seller shall comply with such other terms and conditions which the Bureau may specify including those contained in the Bureau's Manual on Standard and Labelling.
- 9. Label fee.- (1) Every permittee shall pay to the Bureau a label fee of five rupees for each label affixed on the direct cool refrigerator.
- (2) The label fee specified under sub-regulation (1) shall be paid annually within one month from the date of closure of each financial year:

Provided that on failure to pay the label fee within the period so specified, the Bureau may recover the amount due with interest thereon at ten per cent. per annum from the label security fee made under clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 6, and if complete labeling fees are not recovered within one year of the last date of submission, the Bureau may cancel all labels granted to the permittee and publish the name of the permittee in the newspapers as a defaulter.

- 10. Refund of label security fee.- Subject to the provisions of sub-regulation (2) of regulation 9, a permittee shall be entitled to a refund of the label security fee, on ceasing to manufacture direct cool refrigerator.
- 11. Verification by Bureau.- (1) The Bureau or its designated agency may, either suo motu, or on a complaint received by it, carry out verification to ensure that the direct cool refrigerator conforms to the star level and other particulars displayed on its label and that it complies with the other terms and conditions of permission.
- (2) For the purpose of verification, samples shall be picked up at random by Bureau or its designated agency from the manufacturing facility, warehouse or the retail outlet as it deems fit.
- (3) Where, upon a complaint received under sub-regulation (1), the Bureau is required to carry out verification by challenge testing the direct cool refrigerator in an independent laboratory duly accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories, a notice shall be issued to the permittee for carrying out such testing and the complainant shall be called upon to deposit, such expenses relating to testing, transportation and other incidental expenses with the Bureau, within such time, as may be determined by Bureau, and if the sample drawn under challenge testing fails, all expenses towards the cost of sample, transportation of sample and the testing charges, shall be reimbursed by the permittee to the Bureau and the Bureau shall refund the aforesaid expenses to the complainant; and where the equipment passes the challenge test, then, the expenses deposited by the complainant shall stand forfeited.
- (4) Where samples of direct cool refrigerator used for testing fails the test during suo motu testing or challenge testing, the permittee shall be afforded another opportunity and the Bureau shall conduct a second test with twice the quantity of direct cool refrigerator used in the first test in an independent test laboratory duly accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories at the cost of the permittee.
- (5) Where the second test fails, the Bureau shall,-
 - (a) direct the permittee in Form V, under intimation to all the State Designated Agencies, that the permittee shall, within a period of two months,-
 - (i) correct the star level displayed on the label of the direct cool refrigerator or remove the defects and deficiencies found during testing;
 - (ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and
 - (iii) change the particulars displayed on advertising material;
 - (b) publish for the benefit of the consumers, the name of any permittee, brand name, model name or model number, logo and other specifications in any national or regional daily newspaper and in any electronic means or in any other manner as it deems fit, within two months;
 - (c) Intimate to the concerned State Designated Agency to initiate adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.
- (6) The permittee shall within ten days of the conclusion of the period of two months referred to in sub-regulation (5),-
 - (a) send the compliance report in Form VI to Bureau with respect to action taken in compliance with the direction; and
 - (b) in case the compliance report referred to in clause (a) is not received or received without complying to any of the direction within the specified period, it shall be deemed as non-compliance of the direction issued and orders to that effect shall be passed by the Bureau.
- (7) The Bureau shall send a copy of the compliance report referred to in clause (a) and orders passed in clause (b) of sub-regulation (6) along with necessary documents to all the State Designated Agencies for the purpose of taking action under section 17 of the Act and enforcement of the orders passed under clause (b) of the said sub-regulation.

- (8) Where the permittee fails to comply with the directions issued by the Bureau under sub-regulation (5), the Bureau under intimation to all State Designated Agencies, shall,
 - (a) withdraw the permission granted to the permittee under sub-regulation (1) of regulation 7;
 - (b) send report to the Central Government accompanied by the test report in support of the failure by the permittee to conform to the energy consumption standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act, the directions of the Bureau referred to in clause (a) of subregulation (6) for consideration and taking action under clause (c) of section 14 of the Act by the Central Government;
 - (c) publish for the benefit of the consumers, the name of any permittee, brand name, model name or model number, logo and other specification in any national or regional daily newspaper and in any electronic or in any other manner as it deems fit within two months;
 - (d) intimate to the concerned State Designated Agencies to initiate further adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.
- 12. Cancellation of permission.- The Bureau may cancel the permission granted under regulation 7, if the permittee -
 - (a) fails to comply with any of the terms and conditions specified under regulation 8;
 - (b) fails to pay label fee within the period specified under regulation 9;
 - (c) does not comply with the direction issued under regulation 11.

FORM I [See regulation 6]

Application for permission to affix label on direct cool refrigerator under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Household Direct Cool Refrigerators) Regulations, 2016

The Director General
Bureau of Energy Efficiency
(Ministry of Power, Government of India)
4th Floor, Sewa Bhawan,
Sector – 1, R.K.Puram
New Delhi-110 066
India.

I/ We are the manufacturers or importers of household direct cool refrigerators carrying out business at (full business address) under the style of (full
name of individual or firm) hereby apply for permission to affix label on household direct cool refrigerator as specified by the Bureau in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display of Label on Household Direct Cool Refrigerators) Regulations, 2016.
2. Manufacturing Facility: The above equipment is manufactured or imported by (Name of the company) and is manufactured at (Name and address of the factory).
3. Details of information: The details of the information in respect of the equipment, company, manufacturing facility, certification for the test products, labels and payment is given in Annexure. A photocopy of the certificate of incorporation issued by the Registrar of Firms or Societies/Director of Industries (in case of Small Scale Units) or similar other documents authenticating the name of the firm and its manufacturing premises is enclosed. (a) Applicant/authorized person: (Name and Designation) is authorised to make this application on behalf of the company/firm/etc., and will be responsible for accuracy and authenticity of the information supplied with this application. (b) Contact Person: (Name and Designation) is the authorized contact person for coordination with the Bureau in respect of this application and the use of the Label. (c) I/We undertake to intimate to the Bureau of any change in the authorised persons defined in (a) or (b) above.
4. Conformance to Standards: I/We conform to the Bureau of Indian Standard/other international standards in respect of Quality System/Other standards in accordance with IS/Others (name and number of the standard) as specified in the notification on (title of the notification) for the (name of the equipment). A copy of the License / certificate in respect of the above equipment is enclosed.
I/We have made arrangement for testing at our in-house laboratory or at NABL accredited laboratory (Name and address of the laboratory) for ensuring consistency in quality of the equipment.

Independent Laboratory details:

- a) Test details (test procedure/ name/number)
- b) Accreditation status:
- c) Bureau of Energy Efficiency approval:
- 5. Production and sales figures of the said equipment and the value thereof to the best of my/our knowledge and estimates are as follows:

Year	Production	Sales	MRP of the equipment (Rs.)	
Last year fromto			(RS.)	
Current year from				
(estimate)				
6. (a) An application fee of two thou electronic mode.	sand rupees and paid by	Demand Draft N	No dated	/
(b) A Label security fee of one lakh been paid by Demand Draft No.			mode.	has
(c) I/We agree to pay the labeling fee	of five rupees per label a	as specified by th	e Bureau.	
7. I/We agree to abide by all the to operation to the bureau in case of any			ireau and extend necessary as	sistance/co-
8. I/We authorise the Bureau of En agree to abide by the directions of the		ction of sample	for verification and challenge	testing and
9. I/We undertake that the information the information supplied is found to be				nd if any of
	Dated this		day of Faithfully,	(Year)
		Fo	Signature	
			(Name	of the firm) L OF FIRM
	Annex [See para 3 of Details of In	of Form 1]		
1. Product/Equipment Detail 1.1 General				
Equipment and Type			Manager - With a long	
Brand				
Model Name / Number				
Rated Gross Volume (litre)	Line Charles and			The second
Rated Storage Volume (litre)				
Year of manufacturing	THE PARTY OF THE PARTY.			Marine II

white the second

1.2 Technical details

Sl. Model No. Name/ No.		Measured Values			Declared Values				Remarks	
		Gross Volume (litre)	Storage Volume (litre)	Annual Electricity Consumption (kWh/year)	Star Level or Energy Efficiency Level	Gross Volume (litre)	Storage Volume (litre)	Energy Consumption (kWh/year)	Star Level or Energy Efficiency Level	
		Discount of								

2. Details of the company	
Name of the company:	
Address	
Pin Code	UNION 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 199
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-Mail	
Web site	

3. Details of the manufacturing premise	
Address	
Pin Code	S SECTION OF THE SECT
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-Mail	到于1000年1100年1100日 (1000年110日) (1000日)
Web site	
Any other details	

4. Details of test laboratory	
Name of the test Laboratory	
Accreditation status (Attach copy of the accreditation certificate)	
Validity of the accreditation (Attach supporting document)	

Address					
Pin Code					
State					
Phone No.					
Fax No.					
E-Mail					
Web site					
5 Tabeling inform	ation.				
5. Labeling inform Date of commencement	auon				
Number of labels applied	for Bureau of Energy				
Efficiency	3)				
for the first year -					
for the second year -					
for the third year -					
Product Serial No.			From	То	
6. Payment details					
o. I ayment details	Total Amount	Details		emand Draft detai ment details)	ils / electro
			pay	neite details)	
Application Fee					
Security Fee					
		Si			
Date					
		For and on	behalf of		
		For and on	ociian or		
		(Name of th	e firm)		
		SEAL OF I			

Rated Gross Volume
Rated Storage Volume
Year of manufacturing

FORM II

[See Sub-regulation (1) of regulation 7]

Permission / Renewal of Permission to affix label on direct cool refrigerator under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Household Direct Cool Refrigerators)


Regulations, 2016

		New Delhi, dated the
To		
		Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Display on Label of Household Direct Cool Refrigerators) Regulations, 2016, the Bureau hereby
permits		x label as per details of approvals set out in the Annexure to this letter.
	2.	This permission is subject to— (a) the star level displayed on the label of the direct cool refrigerator shall conform to energy consumption standards for direct cool refrigerator notified under clause (a) section 14 of the Act and terms and conditions provided in the aforesaid regulations;
		the label shall be affixed only on such model of direct cool refrigerator for which permission has been granted;
		(c) the label shall be printed and affixed on the direct cool refrigerator at the cost of the permittee;
		the permittee shall ensure that the star level displayed on the direct cool refrigerator shall be maintained at all time;
		(e) the permittee shall pay the label fee of five rupees per label;
		the permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labeling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year. The same details shall be furnished to the Bureau also through automated systems;
		the permittee shall make available such other details of direct cool refrigerator as and when sought by the Bureau for which the permission has been granted.
	3.	This permission shall be valid for from
	4.	The unique label series code assigned by Bureau of Energy Efficiency for the equipment isand should appear on the label as per the approved design.
	5.	Where the star level plans on review is modified by the Central Government, the star level of the direct cool refrigerator shall stand modified as follows:-
		(a) if new model is launched synchronizing with the revised star level, an application for such permission shall be made to Bureau six months in advance of the date from which new star level comes in to force;
		(b) where the existing model is continued to give effect to the modified star level, only a declaration in Form IV shall be submitted to the Bureau.
	6.	Signed, sealed and dated this day of year.
		(Secretary)
		Bureau of Energy Efficiency
		Annexure
		[See para 1 of Form II]
1.	Details	Details of Approvals f the Equipment
	nent and	
Brand		
Model	Name / N	mber

SI. No.				Declared Values				Remarks		
	No.	Gross Volume (litre)	Storage Volume (litre)	Annual Electricity Consumption (kWh/year)	Star Level or Energy Efficiency Level	Gross Volume (litre)	Storage Volume (litre)	Annual Electricity Consumption (kWh/year)	Star Level or Energy Efficiency Level	

2. Label Details

3. Specimen of the label duly approved by Bureau to be affixed on the direct cool refrigerator is shown below.



The unique label series code provided in the letter has to be mentioned in the label affixed on the direct cool refrigerator.

4. The label design, size, colour scheme, material to be used for the label and the content of the label and colour scheme of the Bureau's logo shall be as specified in the Schedule.

Date

Signature	
Designation	
For and on behal	f of
	(Name of the firm)
	SEAL OF FIRM

FORM III [See sub-regulation (2) of regulation 7]

Register of Permittees to be maintained by Bureau of Energy Efficiency (template)

Sl. No. A	pplication No. and Date of Permission	Name and details of the permittee (Contact Person, Address, Pin Code, State, Phone No., Fax	Details of equipment for which the permission has been granted	Star level or Efficiency level declared	Bureau of Energy Efficiency permission number and unique label series	Period for which the permission has been granted
(1)	(2)	Phone No., Fax No., E-mail, Website)	(4)	(5)	(6)	(7)

Amount of Label	Label Security Fee received	Amount of Application Fees	Details of Application Fee
Security Fee	by (Crossed Demand Draft	received	Amount received (Crossed
	(Details)/Electronic		Demand Draft
	transaction (Details): Date:)		(Details)/Electronic transaction
			(Details) : Date :)
(8)	(9)	(10)	(11)
		Section of the sectio	

	payable to Bureau of	Labelling fee, details received for each financial year (Crossed Demand Draft (Details)/ Electronic transaction (Details): Date:)	
(12)	(13)	(14)	(15)

Form IV

[See sub-regulation (7) of regulation 7]

DECLARATION by Permittee seeking continuation of the permission to affix label on the existing model (For each different model, a separate letter shall be submitted along with respective Annexure)

(On the letter head of Corporate body/Permittee)

Date:

To
THE DIRECTOR GENERAL
BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY
(MINISTRY OF POWER, GOVERNMENT OF INDIA)
4TH FLOOR, SEWA BHAWAN,
SECTOR 1, R.K.PURAM,
NEW DELHI-110 066
INDIA.

Sub: Application for permission to affix label vide Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Household Direct Cool Refrigerators) Regulations, 2016 on revision of star level effective from

- 2. The above equipment is manufactured or imported by [FULL NAME OF INDIVIDUAL OR FIRM] and is manufactured at (NAME AND ADDRESS OF FACTORY) or imported from (NAME AND ADDRESS OF IMPORTER);
- 3. Conformance to New Star level: I/We conform to the table change as per Table ... as specified in the notification number S.O. number...........dated...... for direct cool refrigerator. A copy of the Bureau's approval in respect of the above equipment (which was earlier approved) is enclosed.
- 4. A copy of the Bureau of Energy Efficiency Label (as per revision of star level change) in respect of the direct cool refrigerator is enclosed.
- 5. Details of the Equipment / Model as per revision of star level

Model Name -

Particulars	Declared Values		
Gross Volume (litre)			
Storage Volume (litre)			
Annual Electricity Consumption (kWh/year)			
Star Rating	(As per existing star level)	(As per the revised star level)	

- 6. I/We agree to change the star level from [EXISTING STAR LABEL LEVEL] to [REVISED STAR LABEL LEVEL] in manual application as well as in the online web portal.
- 7. I have submitted my quarterly production data and labelling fee till date for the said direct cool refrigerator model.
- 8. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/cooperation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.
- 9. I/we authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.
- 10. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my/our knowledge, and should any of the information supplied is found to be incorrect, the application may be rejected forthwith.

 Date:

Day of	(Year)
Signature	
Name	
Designation	
For and on behalf of	
(Name of the	e firm)
SEAL OF	FIRM

FORM V

[See sub-regulation (5) of regulation 11] Direction to Permittee on failure of second check testing

То	New Delhi, dated the

 obtained from M/s......(Name of the Distributor, dealer, retailer) under signatures of the duly authorised representative of the verification Agency.

- 6. The Test results of second check testing are enclosed which are dully checked and counter signed by the competent authorised personnel of the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories Accredited Laboratory. The test report is also duly signed by your authorised signatory as witness of 2nd check testing. The Test Results confirm that they failed to meet the requisite parameters and standards given in S.O.number dated, and the terms and conditions of the permission given to you for display of particulars on label affixed to the Household Direct Cool Refrigerators manufactured/imported and sold in the market .
- 7. Now, therefore in exercise of the power conferred clause (a) of sub-regulation (5) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Household Direct Cool Refrigerators) Regulations, 2016, the Bureau hereby directs to:
 - correct the star level displayed on the label of the Household direct Cool Refrigerators or remove the defects and deficiencies found during testing;
 - (ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and
 - (iii) change the particulars displayed on advertising material.
- 8. You are hereby directed to complete the aforesaid corrective action within two months from the date of issue of this letter and send the compliance report in Form VI within 10 days after the expiry of two months i.e. by............... In case no compliance report is received by the said date the Bureau shall proceed to take action in terms of clause (b) of sub-regulation (6) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Household Direct Cool Refrigerators) Regulations, 2016.
- 9. The Bureau shall take further follow up action in the matter in terms of regulations (5), (6), (7) and (8) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Household Direct Cool Refrigerators) Regulations, 2016.

Secretary,

Bureau of Energy Efficiency

Enclosures:

- 1. Test reports of the failed model
- 2. Correspondence with the manufacturer

Dated.....

Form VI

[See sub-regulation (6) of regulation 11]

Action Taken Report

(To be furnished on the letter head of the organisation)

To	
THE SECRETARY,	
BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY	
(MINISTRY OF POWER, GOVERNMENT OF INDIA)	
4TH FLOOR, SEWA BHAWAN,	
SECTOR 1, R.K.PURAM,	
NEW DELHI-110 066	
INDIA.	

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on
Label of Household Direct Cool Refrigerators) Regulations, 2016, we M/s
the manufacturer of direct cool refrigerator were permitted to affix label on the direct cool refrigerator
conforming to the energy consumption standard ofstar level vide Bureau of Energy Efficiency letter
Nodatedfor the model number

	Action Directed	Status	Action Taken
(i)	Correct the star level displayed on the label of the direct cool refrigerator to comply with the directions of the Bureau	Yes/No/NA	The star level has been corrected fromstar tostar with effect from (Date)
(ii)	Withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau. and	Yes/No/NA	All the stocks from the market have been withdrawn to comply with the directions of the Bureau.
(iii)	Change the particulars displayed on advertising material.	Yes/No/NA	Yes/No/NA


The above declaration is true to the best of our knowledge and belief.

nature
ne
ignation
and on behalf of
of the Company/Firm etc
of the Firm/Company".


Schedule

[See sub-regulation (2) of regulation 3]
Particulars to be displayed on labels of direct cool refrigerator.
(1.) Label design

(i) Dimension:



(ii) Color scheme:



(iii) Color scheme of Bureau of EnergyEfficiency logo:

BLUE -

Hue(H)-239° Saturation(S):64% Brightness(B):59%

Luminance or lightness(L):28, chromatic components -a:24 b:54

Red(R):54 Green(G):55 Blue(B):151

Cyan(C):97% Magenta(M):95% Yellow(Y):6% Black(K):1%

Web colour code - #363797

GREEN -

Hue(H)-150° Saturation(S):10% Brightness(B):67%, Luminance or lightness(L) :61, chromatic components -a:-53 b:32, Red(R):0 Green(G):170 Blue(B):87

Cyan(C):81% Magenta(M):10% Yellow(Y):90% Black(K):1%, Web colour code - #00AA56;

(2) Label Material

The label shall be of durable cardboard, if it is to be attached as a swing tag, or be self-adhesive and shall be cut to one of the outlines shown in dimension design scheme for the label".

B. P. PANDEY, Director General [ADVT.III/4/Exty./112(185)]